कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री क्षेत्रीय प्रबन्धक, रक्षा मन्त्रालय, कैन्टीन स्टोर विभाग, स्टेशन रोड, आगरा कैन्ट ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**040 / 13, 30.08.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री ए0 के0 वर्मा, सी0 एस0 डी0 डिपो, आगरा के कर्मचारी ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री क्षेत्रीय प्रबन्धक, रक्षा मन्त्रालय, कैन्टीन स्टोर विभाग, स्टेशन रोड, आगरा कैन्ट द्वारा दिनांक 30.08.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ‘‘ Television / LCD / LED, Refrigerator, Microwave Oven, Air Conditioner, Washing Machine’’ पर कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री ए0 के0 वर्मा, सी0 एस0 डी0 डिपो, आगरा के कर्मचारी उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि शासन के परिपत्र संख्या-क0 नि0-2-411 (1) / ग्यारह-2-13-7 (103) / 91 टी0 सी0, दिनांक 28.03.2013 तथा इसके क्रम में वाणिज्य कर, मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4 (3)-परिपत्र-भाग-4 / 2012-13 / 1881 / वाणिज्य कर / (विधि अनुभाग), दिनांक 28.03.2013 से सी0 एस0 डी0 डिपो से सेना के सैनिकों / सदस्यों को बिक्री किये जाने वाले इलेक्ट्रानिक गुड्स को वैट से मुक्त किया गया है, किन्तु इलेक्ट्रानिक गुड्स में कौन-कौन सी वस्तुएं आती हैं यह स्पष्ट न होने के कारण उक्त 05 वस्तुओं पर करदेयता के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति बनी हुई है । अत: कृपया शासन के उक्त वर्णित परिपत्र में उल्लिखित इलेक्ट्रानिक गुड्स में कौन-कौन से आइटम आते हैं इसको बताने का कष्ट किया जाये ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा के पत्र संख्या-1663, दिनांक 03.10.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची में इलेक्ट्रानिक गुड्स से सम्बन्धित जिन वस्तुओं का विवरण दिया गया है उसमें प्रार्थी द्वारा उल्लिखित पॉचों वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं । अत: इन वस्तुओं पर अवर्गीकृत की भॉति करदेयता है । इस सम्बन्ध में शासन के परिपत्र दिनांक 28.03.2013 के आधार पर भी उक्त पॉचों वस्तुओं पर प्रार्थी को कोई करमुक्ति देय नहीं है । इसलिए उल्लिखित पॉचों वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V की भॉति मूल्य संवर्धित कर की देयता है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा शासन के परिपत्र संख्या-क0 नि0-2-411 (1) / ग्यारह-2-13-7 (103) / 91 टी0 सी0, दिनांक 28.03.2013 के द्वारा सी0 एस0 डी0 कैन्टीन से सम्बन्धित पात्र व्यक्तियों को बिक्री किये गये ‘‘ इलेक्ट्रानिक गुड्स ’’ पर करदेयता से छूट प्रदान की गई है । ‘‘ इलेक्ट्रानिक गुड्स ’’ के नाम से कोई वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची में उल्लिखित नहीं है । प्रार्थी

द्वारा ‘‘ इलेक्ट्रानिक गुड्स ’’ के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है । प्रार्थी का यह प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के बिन्दु-a से e तक से आच्छादित नहीं है । अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ‘‘ इलेक्ट्रानिक गुड्स ’’ की सूची नहीं दी जा सकती है जिसके कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी द्वारा ‘‘ इलेक्ट्रानिक गुड्स ’’ के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के नाम स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है । यह प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है अत: इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है । अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 28 जनवरी, 2014 ह0 / 28.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।